राजस्थान सरकार

कृषि आयुक्तालय, राज0 जयपुर

क्रमांक प.2(3)(ब)(7895)आ.कृ / 5881-86 दिनांक : 05/8/21

आदेश

राजस्थान कृषि अधीनस्थ सेवा नियम, 1978 यथा संशोधित में निहित प्रावधानों के अन्तर्गत विभाग के संवर्ग नियंत्रणाधीन राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, दुर्गापुरा, जयपुर द्वारा पत्र क्रमांक 14(58)(1)आरएसएमएसएसबी / अर्थना / कृषि / कृ.पर्य. / पात्रता जांच / 2018 / 459 दिनांक 19.03.2021 द्वारा विभाग के संवर्ग नियंत्रणाधीन **गैर अनुसूचित क्षेत्र के 8 अभ्यर्थियों (मुख्य सूची के) एवं गैर अनुसूचित क्षेत्र में कार्यग्रहण नहीं करने वाले अभ्यर्थियों के स्थान पर गैर अनुसूचित क्षेत्र के 14 अभ्यर्थियों** का **कृषि पर्यवेक्षक** के पद पर अन्तिम रूप से चयन किया जाकर इनके पदस्थापन की अभिशंषा की गई है।

उक्त अभिशंषाओं के अनुसरण में कृषि आयुक्तालय के समसंख्यक आदेश **क्रमांक 259–310 दि0 02.06.2021** द्वारा इन्हें परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी **(Probationer-Trainee)** के रूप में **कृषि पर्यवेक्षक** के पद पर नियुक्ति की जाकर आदेश प्रसारित होने की तिथि से **30 दिवस की अवधि** में संबंधित कार्यालय में उपस्थिति प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया।

निम्नांकित अभ्यर्थी द्वारा निर्धारित अवधि में उपस्थिति प्रस्तुत नहीं किए जाने तथा इनके द्वारा कृषि पर्यवेक्षक के पद पर नियुक्ति नहीं लिए जाने से संबंधित प्रार्थना पत्र दि0 02.07.2021 प्रेषित करने के फलस्वरूप इनके सम्बन्ध में जारी विभागीय **नियुक्ति आदेश** को तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जाता है :–

गैर अनुसूचित क्षेत्र के अभ्यर्थी (कार्यग्रहण नहीं करने वालों के स्थान पर चयनित)

क्र. सं.	नियुक्ति आदेश क्रमांक व दिनांक	नाम अभ्यर्थी	पिता का नाम	रैंक	लिंग	वर्ग	क्षैतिज आरक्षण की श्रेणी	वर्ग, जिसके विरूद्ध चयन	कार्यालय, जिसमें उपस्थिति देनी थी
1	259–310 दिनांक 02.06.2021	**NARENDER PAL SINGH**	**CHANCHL SINGH**	**764**	**Male**	**OBC**		**OBC_WL**	उप निदेशक कृषि (वि.) जिला परिषद, श्रीगंगानगर

05/8/21

(डॉ0 ओम प्रकाश)
आयुक्त कृषि एवं
पंचायती राज (कृषि)

क्रमांक प.2(3)(ब)(7895)आ.कृ / 5881-86 दिनांक : 05/8/21

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं :–

1. विशिष्ठ सहायक, माननीय कृषि मंत्री महोदय, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. अध्यक्ष, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, दुर्गापुरा, जयपुर को भेजकर आग्रह है कि **बोर्ड द्वारा नरेन्द्र पाल सिंह का चयन** गैर अनुसूचित क्षेत्र में कार्यग्रहण नहीं करने वालों के स्थान पर किया गया है। अतः यदि नियम है, तो इनके स्थान पर आरक्षित सूची से अन्य अभ्यर्थी उपलब्ध करवाने का कष्ट करावें।
3. उप निदेशक कृषि (वि.) जिला परिषद, श्रीगंगानगर।
4. एनालिस्ट–कम–प्रोग्रामर, मु0 को वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
5. आरक्षी।

(कैलाश चंद मीना)
संयुक्त निदेशक कृषि (प्रशासन)